¹[Rule 41A: Transfer of credit on obtaining separate registration for multiple places of business within a State or Union territory

(1) A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provisions of rule 11 and who intends to transfer, either wholly or partly, the unutilised input tax credit lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business, shall furnish within a period of thirty days from obtaining such separate registrations, the details in FORM GST ITC-02A electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified in this behalf by the Commissioner:

Provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of the value of assets held by them at the time of registration.

Explanation-For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the 'value of assets' means the value of the entire assets of the business whether or not input tax credit has been availed thereon.

(2) The newly registered person (transferee) shall, on the common portal, accept the details so furnished by the registered person (transferor) and, upon such acceptance, the unutilised input tax credit specified in FORM GST ITC-02A shall be credited to his electronic credit ledger.]

¹ Rule 41A inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 41क : किसी राज्य संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर प्रत्यय का अंतरण

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 11 के उपबंधों के अनुसार कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, और वह अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े अनुपयोजित कर प्रत्यय को या तो पूर्णतः या भागतः किन्हीं या सभी नई रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को अंतरण करने का आशय रखता है तो, इलेक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईटीसी—02क में ब्यौरा या तो सीधे या इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसा अलग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के तीस दिन की कालाविध के भीतर सौंपेगा:

परन्तु यह कि नई रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण के समय उनके द्वारा धारित आस्तियों के मूल्य के अनुपात में वह इनपुट कर प्रत्यय अंतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'आस्तियों के मूल्य' से अभिप्रेत है कारबार के वह कुल आस्तियों का मूल्य चाहे उस पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं।

(2) नया रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरिती), सामान्य पोर्टल पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरक) द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, प्ररूप जीएसटी आईटीसी—02क में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 3/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा नियम 41क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।